न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2021	2021/40	16—03—2021	19—03—2021

01— सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर जिला अलवर राजस्थान —प्रार्थी

बनाम

01— श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री बृज मोहन अग्रवाल निवासी सिविल लाईन अलवर जिला अलवर (फर्म प्रतिनिधि)
02— मैसर्स अग्रवाल खाद बीज भण्डार, बगड़ तिराया अलवर जिला अलवर राज0।
—अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत जब्त प्याज बीज को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—
01— दिनेश कुमार —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रकरण बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 10.03.2021 को जरिये फोन श्री पूरण चंद मीणा उप—निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा मै0 अग्रवाल खाद बीज भण्डार बगड़ तिराया अलवर की दुकान द्वारा कृषको को को अनाधिकृत रूप से बीना बिल एवं बिक्री से संबंधित कागजात रहित प्याज का बीज बेचा जा रहा है। जिसकी जांच हेतु कार्यालय के श्री बबलेश कुमार कृषि अधिकारी के साथ मै0 अग्रवाल खाद बीज भण्डार की दुकान पर पहुंचे। वहां पर मै0 अग्रवाल खाद बीज भण्डार का प्रतिनिधि श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री बृज मोहन अग्रवाल निवासी सिविल लाईन अलवर जिला अलवर मौजूद था। जिसके पास 7 विभिन्न किस्मों के 9 लोट के कुल 43 किग्रा प्याज बीज था। पूछताछ में फर्म के मालिक श्री राकेश अग्रवाल द्वारा बताया कि मेरे पास बिल बुक, पीसी, स्टॉक रजिस्टर, अनुज्ञा—पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध है। मेरे द्वारा उक्त दस्तावेज जांच हेतु मांगने पर आना—कानी करने लगा तथा अनुज्ञा—पत्र ही उपलब्ध कराया गया। अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। श्री राकेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त दस्तावेज—

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अकाउंटेंट के पास उपलब्ध है और अकाउंटेंट दुकान पर मौजूद नहीं था ना ही दुकान पर बुलाया गया। उक्त प्याज बीज का अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा था इसलिए जब्ती के दौरान 7 विभिन्न किस्मों के 9 लोट के कुल 43 किग्रा बीज को जब्त किया गया एवं श्री नवीन कुमार सिंघल कनिष्ट सहायक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त जब्त 7 विभिन्न किस्मों के 9 लोट के कुल 43 किग्रा प्याज बीज को राजसात व निस्तारण करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है प्याज बीज किस्म दिव्य फुले समर्थ लॉट नंबर डी 3713, डी एस सी 3712 जरिये बिल संख्या 311 दिनांक 26.02.2021 भारत पोस्टिसाईड ऐजेन्सी नेमीचन्द मार्केट अलवर से खरीद किया गया। प्याज बीज दिव्या ए एफ डी आर लॉट नंबर डी एस सी 773 जरिये बिल संख्या 301 दिनांक 24.02.2021 भारत पोस्टिसाईड ऐजेन्सी नेमीचन्द मार्केट अलवर से खरीद किया गया। प्याज बीज किस्म राधिका सूपर रेड किंग लॉट नंबर ए एफ डी आर प्याज बीज किस्म रेणुकार लॉट नं0 आर एच एस 01–2021–1183, प्याज बीज किस्म गौरव राठी लॉट नं0 आर ए ए 1701 जरिये बिल संख्या 182 दिनांक 28.01.2021 भारत पोस्टिसाईड ऐजेन्सी नेमीचन्द मार्केट अलवर से खरीद किया गया। प्याज बीज रिम लीडर रेड प्रिंस लॉट नं0 आर 1 एच 020, प्याज बीज राधिका एन 53 लॉट नं0 आर 43 जरिये बिल संख्या यूएआईपीएल/20–21/1135 दिनांक 10.03.2021 उन्नत एग्रो इन्पुट्स प्रा0 लि0 स्टेशन रोड़ अलवर से खरीद किया गया। क्रम संख्या 3, 4 और 6 की खरीद मेरे पिता के द्वारा कृषि भूमि में बुआई के लिए खरीद किया गया जो व्यवसायिक स्थल पर बेचान हेतु नहीं रखा गया था। चूंकि उक्त बीज प्याज का है जिसे ज्यादा दिन तक रखने पर खराब होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अतः उपरोक्त बीज मुझे दिलाये जाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीजर नोट एवं मौका पर्चा में जब्त किये गये प्याज बीज क्रम संख्या 1 से संबंधित बिल क्रमांक 311 दिनांक 26.02.2021, क्रम सं0 2 बिल नं0 301 दिनांक 24.02.2021, क्रम सं0 4 के बिल सख्या 182 दि0 28.01.2021, क्रम सं0 7 व 8 के बिल सं0 1135 दिनांक 10.03.2021 अप्रार्थी नं0 2 द्वारा पेश किये गये है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा स्टॉक रजिस्टर व अनुज्ञा–पत्र की प्रति भी पेश की गयी है। स्टॉक रजिस्टर में उक्त बिलों का इन्द्राज दर्शाया हुआ है। बीज निरीक्षक द्वारा स्टॉप सेल ऑर्डर में भी बीना बिल के विक्रय करते पाये जाने पर ही विक्रय पर रोक लगाई गई है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि तत्समय फर्म के दस्तावेज अकाउंटेंट के पास होने तथा अकाउंटेंट के तत्समय उपस्थित नहीं होने से प्याज बीज संबंधी बिल व स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने कारण बीज निरीक्षक द्वारा उक्त माल की जब्ती की कार्यवाही की गयी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर द्वारा जब्त किया गया –

P.T.O

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(3)

43 किग्रा प्याज बीज को मै0 अग्रवाल खाद बीज भण्डार बगड़ तिराया, अलवर के मालिक श्री राकेश कुमार अग्रवाल को सुपुर्द कर दिया जावें।

निर्णय की प्रति बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/03/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)